भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 237

21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना

237. **सुश्री कंगना रनौतः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के अंतर्गत पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी राज्यों में समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग हेतु उनकी उपयुक्तता, कार्य निष्पादन और परिचालन व्यवहार्यता के संबंध में कोई तकनीकी मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या कम तापमान, तीव्र ढ़लान और कठिन भूभाग जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बैटरी के प्रदर्शन, चार्जिंग दक्षता, वाहन की रेंज, स्थायित्व और समग्र दक्षता जैसे मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन तथा सीमाओं के संबंध में क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसी क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी मानकों, अतिरिक्त प्रोत्साहनों, चार्जिंग अवसंरचना सहायता या नीतिगत उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग)**:** पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयुक्तता, निष्पादन, परिचालन व्यवहार्यता तथा बैटरी निष्पादन, चार्जिंग दक्षता, वाहन की रेंज, टिकाऊपन एवं समग्र दक्षता के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ)**:** पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है। हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में विद्युत वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी मानकों, अतिरिक्त प्रोत्साहनों, चार्जिंग अवसंरचना संबंधी सहायता अथवा नीतिगत उपायों संबंधी वर्तमान में कोई योजना नहीं है। तथापि, पीएम ई-ड्राइव स्कीम की दिनांक 29.09.2024 की अधिसूचना के पैरा 28 के अनुसार, पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा गैर-ओपेक्स मॉडल पर विद्युत बसों की खरीद एवं परिचालन पर भी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

****